

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन शाखा) मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन भोपाल
क्रमांक/निस्तार/195 भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2008

प्रति,

समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वृत्त प्रभारी)
समस्त मुख्य वन संरक्षक (वृत्त प्रभारी)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषय:- उपभोक्ताओं को बाजार दर पर खुदरा बिक्री के जरिये इमारती काष्ठ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।
संदर्भ:- इस कार्यालय का क्र./निस्तार/173 दिनांक 10-1-2008

---0---

ग्रामीण क्षेत्र में शिल्पियों, बढ़ई एवं अन्य कारीगरों के साथ साथ लघु उपभोक्ताओं को मकान बनाने के लिये इमारती काष्ठ की उपलब्ध प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जहाँ इमारती काष्ठ का उत्पादन हो रहा है, कम से कम एक डिपो स्थापित कर वहाँ से बाजार मूल्य पर प्रदाय किये जाने की व्यवस्था विकसित की गई है । इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के संदर्भित पत्र से सभी वन संरक्षकों को विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं । इन निर्देशों के साथ व्यवस्था के संबंध में अन्तर्विभागीय समिति के निर्णय की प्रति भी संलग्न की गई है । इस पत्र के साथ 36 डिपो में उक्त व्यवस्था चालू करने के निर्देश सभी वन संरक्षकों को है ।

आपसे अनुरोध है कि प्रवास के समय इस विकसित व्यवस्था की समीक्षा करें । प्रदाय हेतु रखी गई वनोपज का गोड एवं दरों के निर्धारण की भी समीक्षा करें ।

इन डिपो के अतिरिक्त अन्य विधानसभाओं में यदि वर्तमान वाणिज्यिक डिपो के किसी सेक्टर में अथवा उपलब्ध निस्तार डिपो में यदि आप नया डिपो खोले जाने का प्रस्ताव देना चाहें तो वह अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) को भेजने का कष्ट करें । जिससे इस वित्तीय वर्ष में शेष प्रस्तावित 12 अन्य खुदरा बिक्री के इमारती डिपो विकसित किये जा सकें ।

सही-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल

पष्ठा.क्र.निस्तार/196 भोपाल, दिनांक 11 जनवरी 2008

प्रतिलिपि:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

सही-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल